राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 /111700-919 दिनांकः 29/06/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एवं लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के दौरान कोविड प्रोटोकोल की पालना नहीं करने पर सीज / शास्ती की कार्यवाही व जन जागरूकता अभियान की गतिविधियों बाबत्।

संदर्भः–गृह विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश कमांक प.7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 26.06.2021

कोरोना का खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट बीकानेर, राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैल चुका है, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी फैलने लगा है। ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलते है, फेफड़ों को ज्यादा जल्दी संकमित करते है और इनमें मृत्यु दर भी अधिक है।

''माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकोल की पूरी तरह पालना करना होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़–भाड़ से दूर रहे।'' विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोरोना के नये वैरिएंट (variant of concern) वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को (break through infection) संकमित कर सकते है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए वैक्सीन ट्रायल फेज में है, जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती अथवा उसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों / भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को expose न करें ताकि उनको संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलन प्रदान करने के पश्चात् अगर भीड़–भाड़ को नियंत्रित नहीं किया गया एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित नहीं की गई तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सामना करना पड़ सकता है। अतः **भीड़–भाड़ को नियंत्रित करना, कोरोना के बचाव हेतु टीकाकरण एवं संचरण की श्रृंखला को तोड़ना महत्वपूर्ण है।**

Scanned with CamScanner

संदर्भित तथा पूर्व में जारी गाइडलाईन की पालना कराने के साथ–साथ कोरोना के विरूद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित समस्त गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रखनी है एवं निम्नांकित गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैः–

- निकाय क्षेत्र के नागरिकों को वैक्सीनेशन हेतु प्रोत्साहित एवं मोबिलाईज़ करना।
- निर्धारित पम्पलेट (माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नवीनतम अपील एवं सूचना व जन संपर्क निदेशालय द्वारा जारी स्लोगन्स) वितरण जारी रखना।
- विभिन्न सामाजिक संगठनों (व्यापारिक, नागरिक, सामाजिक व सभी धर्मगुरूओं इत्यादि) एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना एवं वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करने के कार्य में सहयोग प्राप्त करना।
- सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा इत्यादि के माध्यम से माईक द्वारा वैक्सीनेशन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना का व्यापक प्रचार–प्रसार।
- प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों/ सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही।
- कचरा वाहनों पर नयी जिंगलटोन (वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किये गये अनुसार) बजाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया व एफएम रेडियो इत्यादि) का उपयोग।

टीकाकरण की संख्या को बढ़ाने हेतु टीकाकरण जनजागरण अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। इस हेतु एंटी कोविड टीम के निर्देशन में सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण हेतु जागरूक एवं प्रेरित करें।

समस्त नगरीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिबंधों को खोलने के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों /सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही की जाये।

अभियान की प्रगति की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संबंधित क्षेत्र में उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे तथा **कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क लगाना तथा उचित दूरी के नियम की पालना नहीं होने पर**

Scanned with CamScanner

जुर्माने के साथ–साथ संबंधित दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जिला प्रशासन के सहयोग से 72 घंटे के लिए सील करने की सख्त कार्यवाही करेंगे एवं अभियान के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/111920-956 दिनांकः 29/06/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner